न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर
बइजलास–सुनील कुमार (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र सं. 01/2024

प्रार्थी	अप्रार्थी
रूगाराम पुत्र चोखाराम जाति जाट निवासी छीला तह0 व जिला नागौर	राज्य सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

उपस्थित :–
श्री राधेश्याम सांगवा, (वकील प्रार्थी)
श्री ओमप्रकाश पूनियां, राजकीय पैरोकार (वकील अप्रार्थी)

आवेदन पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

::आदेश::

दिनांक :– ....

प्रार्थी ने आवेदन पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, प्रार्थी के कब्जे काश्त सहखातेदारी के खेताय खसरा नं. 565/69 रकबा 3.3427 हैक्टेयर, खसरा नं. 67 रकबा 0.0890 हैक्टेयर वाके सरहद मौजा छीला तहसील नागौर व ग्राम बुकर्मसोता तहसील नागौर के खसरा नं. 507/368 रकबा 5.7708 हैक्टेयर में स्थित है नकल खतौनीयां साथ पेश है।

उक्त खेतो की खतौनी में प्रार्थी का नाम रूगाराम के स्थान पर रूघनाथ गलत दर्ज हो रखा है व प्रार्थी बालिग होने के बावजूद खसरा नं. 565/69 व 67 मौजा छीला की खतौनी में संरक्षक सरपरस्त माता घापु गलत दर्ज हो रखा है जबकि प्रार्थी आज दिन बालिग है तथा प्रार्थी का सही नाम संगादराम है जो प्रार्थी के तमाम पहचान के दस्तावेजात यथाः आधार कार्ड, वोटर परिचय पत्र, बैंक डायरी बिधुत बिल आदि में प्रार्थी का सही नाम रूगाराम ही दर्ज है लेकिन परिवार में बोलता नाम रुगनाथ होने व रुगाराम व रूपनाथ दो नामों से पुकारने के कारण खतौनी में रूघनाथ दर्ज हो गया जबकि सही नाम रूगाराम है जो प्रार्थी ही है अन्य कोई नहीं है।

प्रार्थी का सही नाम रूगाराम दर्ज कर उक्त खेत के राजस्थ रेकर्ड की दुरूस्ती/शुद्धिकरण हेतु प्राथी ने पूर्व में तहसीलदारजी से निवेदन भी किया था मगर उक्त दुरुस्ती का आश्वासन दिया जाता रहा व अब पटवारी वगैरा ने कह दिया है कि न्यायालय से आदेश होने पर ही उक्त दुरुस्ती हो सकती है इस कारण इस हेतु उक्त प्रावधान के तहत रेकर्ड की दुरुस्ती/शुद्धिकरण हेतु यह आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण प्रार्थी के कब्जे काश्त सहखातेदारी के खेत खसरा नं. 565/69 व खसरा नं. 67 मौजा छीला तहसील नागौर व खसरा नं. 507/368 मौजा बुकर्मसोता के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गलती से रूधनाथ दर्ज होने के कारण व उक्त त्रुटि की वजह से प्रार्थी को सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने में अड़चने आने व अन्य कानूनी अड़चने व पेचीदगीयां उत्पन्न होने से उक्त खसरान की खतौनी में भी प्रार्थी का सही नाम दीगर दस्तावेजो में दर्ज अनुसार रूगाराम पुत्र चोखाराम दर्ज करवाना आवश्यक हो जाने से व पटवारी, तहसीलदार जी से निवेदन

करने के बावजुद उक्तानुसार रेकर्ड दुरूस्ती/शुद्धिकरण नहीं होने के कारण सरहद मौजा छीला तहसील नागौर में उत्पन्न हुआ है।

अन्त में प्रार्थी द्वारा इस्तदुआ चाही गई कि, प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी के खेत खसरा नं. 565/69 रकबा 3.3427 हैक्टेयर, खसरा नं. 67 रकबा 0.0890 हैक्टेयर वाके सरहद मौजा छीला तहसील नागौर व ग्राम बुकर्मसोता तहसील नागौर के खसरा नं. 507/368 रकबा 5.7708 हैक्टेयर की खतौनी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम रूघनाथ के स्थान पर सही नाम रूगाराम पुत्र चोखाराम जरिये दुरूस्ती के दर्ज करने का आदेश फरमावे व खसरा नं. 565/69 व 67 मौजा छीला की खतौनी से संरक्षक सरपरस्त माता धापूदेवी का नाम हटाया जाकर उक्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नागौर के नाम तहरीर जारी करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार नागौर को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नागौर का नोटिस तारीख पेशी दिनांक 09.02.2024 तामिल शुदा प्राप्त हुआ। तहसीलदार नागौर को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 21.02.2024 को तहसीलदार नागौर का जवाब बन्द किया गया।

दिनांक 21.02.2024 को बहस वकुलाय सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी के तमाम पहचान के दस्तावेजात यथाः आधार कार्ड, वोटर परिचय पत्र, बैंक डायरी बिधुत बिल आदि में प्रार्थी का सही नाम रूगाराम ही दर्ज है लेकिन परिवार में बोलता नाम रुगनाथ होने व रुगाराम व रूपनाथ दो नामों से पुकारने के कारण खतौनी में रूघनाथ दर्ज हो गया जबकि सही नाम रूगाराम हैं। अतः प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी के खेत खसरा नं. 565/69 रकबा 3.3427 हैक्टेयर, खसरा नं. 67 रकबा 0.0890 हैक्टेयर वाके सरहद मौजा छीला तहसील नागौर व ग्राम बुकर्मसोता तहसील नागौर के खसरा नं. 507/368 रकबा 5.7708 हैक्टेयर की खतौनी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम रूघनाथ के स्थान पर सही नाम रूगाराम पुत्र चोखाराम दुरूस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार कर मौजा छीला तहसील व जिला नागौर खेत खसरा नं. 565/69 रकबा 3.3427 हैक्टेयर, खसरा नं. 67 रकबा 0.0890 हैक्टेयर व ग्राम बुकर्मसोता तहसील नागौर के खसरा नं. 507/368 रकबा 5.7708 हैक्टेयर में दर्ज रूघनाथराम पुत्र चोखाराम के स्थान पर रूगाराम पुत्र चोखाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट दुरूस्त करने के तहसीलदार नागौर को आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार नागौर को तहरीर जारी हो।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
नागौर

आदेश आज दिनांक .... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
नागौर